प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण।
आहरण वितरण अधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 161 /नि0शा0/2020–21 दिनांक– 27-1 ,2021.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख व मैंचिग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए शासन द्वारा निर्गत रू0 737.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद हेतु रू0 27.1970 लाख के सापेक्ष रू0 18.75 लाख के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 34/2020/106/सत्रह–म–2019–6–9 (2)/19 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख व मैंचिग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए शासन द्वारा निर्गत रू0 737.48 लाख (रू0 सात करोड़ सैंतीस लाख अड़तालीस हजार) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद हेतु रू0 27.1970 लाख के सापेक्ष रू0 18.75 लाख का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ मण्डलों/जनपदो/निदेशालयं को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त व्यय शासन के अधीन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

1- The earmarked funds under Administrative Expenses shall be utilized for (a) information Education Communication (IEC) activities and for preparation of IEC material including electronic and print material, (b) cost of seminars, workshops, conferences, official meetings, farmers meet etc., (c) publicity and promotional activities through electronic and print medias, (d) recording of videos & photography on success stories and best management practices, (e) cost of supervision, monitoring and evaluation, (f) preparation of required MIS along with necessary hardware/software, (g) Social Audit if any required, (h) cost hiring of personnel on contract, (i) cost of assessments and evaluation studies; (j) hiring of project management consultants, (k) preparation of State and National Annual Plans and Vission Documents etc.
2- These funds shall also be utilized in assisting the States/UTs requiring assistance for preparation of their action plans, prioritizing the development plans, preparation of proposals through project consultants etc.

3– जनपदों/मण्डलों को उक्त आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 28.01.2021 को सचिव, मत्स्य भारत सरकार के द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आयोजित होने वाले वेबिनार तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के परियोजना प्रस्ताव के भौतिक सत्यापन, स्थलीय निरीक्षण, डी0एल0सी0 बैठकों के आयोजन, विशेष अतिथियों के फूडिंग व लाजिंग इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। संबंधित जनपद/मण्डल आवंटित धनराशि में से अधिकतम रू0 15,000/– प्रति मण्डल/प्रति जनपद की दर से व्यय किया जायेगा। (जिन जनपदों/मण्डलों में वेबिनार का आयोजन होना है, की सूची संलग्न है।)

4– इसके अतिरिक्त जनपदों/मण्डलों द्वारा उक्त धनराशि में से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मजदूरी, स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अनुरक्षण व तत्सम्बन्धित स्टेशनरी पर व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व उनका अनुरक्षण, नियमों के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसर पेट्रोल/डीजल पर व्यय एवं नीली क्रान्ति सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी एवं मेला इत्यादि मदों

पर किया जायेगा। जनपदों द्वारा अधिकतम सीमा रू0 10,000/- तथा मण्डलों द्वारा अधिकतम सीमा रू0 15,000/- की दर से व्यय किया जायेगा। (समस्त जनपद/मण्डल)

5- निदेशालय स्तर पर आवंटित धनराशि से दिनांक 29.01.2021 को सचिव, मत्स्य भारत सरकार के द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आयोजित होने वाले वेबिनार एवं विशेष अतिथियों के फूडिंग व लाजिंग इत्यादि हेतु आवंटित की जा रही है।

6-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैंनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

10- विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण, अवस्थापना क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र सं0-4/2020/बी-1- 192/दस'2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र सं0-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020 दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र सं0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017-एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

14- निर्माण कार्यों के संबंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के संबंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

16- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

17- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य

सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

18– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

19– उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाए, 0102–ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20 सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर पृष्ठ सं0 (122) अंकित कर दिया गया है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
7– गार्ड फाइल।
8– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण।
आहरण वितरण अधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/2020–21 दिनांक–27-1-,2021.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख व मैंचिग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए शासन द्वारा निर्गत रू0 737.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद हेतु रू0 27.1970 लाख के सापेक्ष रू0 18.75 लाख के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 34/2020/106/सत्रह–म–2019–6–9 (2)/19 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख व मैंचिग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए शासन द्वारा निर्गत रू0 737.48 लाख (रू0 सात करोड़ सैंतीस लाख अड़तालीस हजार) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद हेतु रू0 27.1970 लाख के सापेक्ष रू0 18.75 लाख का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ मण्डलों/जनपदो/निदेशालयं को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त व्यय शासन के अधीन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगाः–

1- The earmarked funds under Administrative Expenses shall be utilized for (a) information Education Communication (IEC) activities and for preparation of IEC material including electronic and print material, (b) cost of seminars, workshops, conferences, official meetings, farmers meet etc., (c) publicity and promotional activities through electronic and print medias, (d) recording of videos & photography on success stories and best management practices, (e) cost of supervision, monitoring and evaluation, (f) preparation of required MIS along with necessary hardware/software, (g) Social Audit if any required, (h) cost hiring of personnel on contract, (i) cost of assessments and evaluation studies; (j) hiring of project management consultants, (k) preparation of State and National Annual Plans and Vission Documents etc.
2- These funds shall also be utilized in assisting the States/UTs requiring assistance for preparation of their action plans, prioritizing the development plans, preparation of proposals through project consultants etc.

3– जनपदों/मण्डलों को उक्त आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 28.01.2021 को सचिव, मत्स्य भारत सरकार के द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आयोजित होने वाले वेबिनार तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के परियोजना प्रस्ताव के भौतिक सत्यापन, स्थलीय निरीक्षण, डी0एल0सी0 बैठकों के आयोजन, विशेष अतिथियों के फूडिंग व लाजिंग इत्यादि पर व्यय किया जायेगा। संबंधित जनपद/मण्डल आवंटित धनराशि में से अधिकतम रू0 15,000/– प्रति मण्डल/प्रति जनपद की दर से व्यय किया जायेगा। (जिन जनपदों/मण्डलों में वेबिनार का आयोजन होना है, की सूची संलग्न है।)

4– इसके अतिरिक्त जनपदों/मण्डलों द्वारा उक्त धनराशि में से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मजदूरी, स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अनुरक्षण व तत्सम्बन्धित स्टेशनरी पर व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व उनका अनुरक्षण, नियमों के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसर पेट्रोल/डीजल पर व्यय एवं नीली क्रान्ति सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी एवं मेला इत्यादि मदों

पर किया जायेगा। जनपदों द्वारा अधिकतम सीमा रू0 10,000/– तथा मण्डलों द्वारा अधिकतम सीमा रू0 15,000/– की दर से व्यय किया जायेगा। (समस्त जनपद/मण्डल)

5– निदेशालय स्तर पर आवंटित धनराशि से दिनांक 28.01.2021 को सचिव, मत्स्य भारत सरकार के द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आयोजित होने वाले वेबिनार एवं विशेष अतिथियों के फूडिंग व लाजिंग इत्यादि हेतु आवंटित की जा रही है।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैंनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह–म–2018–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग–निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

10– विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण, अवस्थापना कय हेतु निर्धारित प्रकिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र सं0–4/2020/बी–1– 192/दस'2020–231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र सं0–5/2020/बी–1–196/दस–2020–231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र सं0–6/2020/बी–1–218/दस/2020–231/2020 दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र सं0–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून 1994 में दिये गये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर–3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

14– निर्माण कार्यों के संबंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के संबंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

15– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

16– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

17– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य

सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

18– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

19– उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक–2405–मछलीपालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाए, 0102–ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20 सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर पृष्ठ सं0 (122) अंकित कर दिया गया है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 161 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
7– गार्ड फाइल।
8– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2020-2021

आवंटनदिनांक-23/01/2021

प्रेषणसंख्या:- 1

आवंटनआदेशसंख्या:- 001-BLUE REV ALLOTMENT 25-1-2021

अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2020-2021 काआवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन

01 -

02 - ब्लूरिवोल्यूशनइन्टीग्रेटेडडेवलपमेंटएण्डमैनेजमेंटआफफिशरीजयोजना

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 605080	40000 605080
2	मुज़फ्फरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	35000 1212400	35000 1212400
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 4168920	40000 4168920
4	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	10000 3222600	10000 3222600
5	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --20-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	10000 212800	10000 212800
6	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 106200	25000 106200
7	अलीगढ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 4175880	25000 4175880
8	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 5440320	25000 5440320
9	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 4045980	40000 4045980
10	मैनपुरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 195580	10000 195580
11	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000 3010510	20000 3010510
12	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 936300	40000 936300
13	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --22-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	10000 955820	10000 955820
14	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 2596800	10000 2596800

15	मुरादाबाद-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 1572880	40000 1572880
16	मुरादाबाद-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --19-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	10000 1486080	10000 1486080
17	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 651200	25000 651200
18	पीलीभीत-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 932830	10000 932830
19	रामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 1087700	10000 1087700
20	फर्रुखाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	35000 4217050	35000 4217050
21	इटावा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	35000 4222130	35000 4222130
22	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 1550780	40000 1550780
23	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --25-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - कानपुरदेहात	वर्तमान प्रगामी	10000 3245520	10000 3245520
24	फतेहपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 1303420	25000 1303420
25	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 1539320	40000 1539320
26	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --16-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	10000 1033720	10000 1033720
27	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 7446770	40000 7446770
28	जालौन-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 606920	10000 606920
29	हमीरपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 1497620	10000 1497620
30	बांदा -2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 3436620	10000 3436620
31	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 2828000	40000 2828000
32	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	10000 1605060	10000 1605060
33	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --12-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	10000 2014060	10000 2014060
34	मिर्ज़ापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 1732120	40000 1732120
35	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 7686500	40000 7686500
36	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0	वर्तमान	25000 9153800	25000 9153800

	कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	प्रगामी		
37	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 1193440	40000 1193440
38	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --26-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सन्तकबीरनगर	वर्तमान प्रगामी	10000 1140960	10000 1140960
39	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 2021810	40000 2021810
40	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --15-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	10000 1169220	10000 1169220
41	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 1136580	40000 1136580
42	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	10000 1839940	10000 1839940
43	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --03-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	25000 1091870	25000 1091870
44	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 4158160	25000 4158160
45	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 4196300	25000 4196300
46	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 1398210	25000 1398210
47	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	40000 3497200	40000 3497200
48	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	10000 4483160	10000 4483160
49	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --05-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	10000 5309220	10000 5309220
50	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	25000 12242490	25000 12242490
51	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --07-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराजनगर	वर्तमान प्रगामी	10000 3849600	10000 3849600
52	बहराइच-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 8670870	25000 8670870
53	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 1796700	25000 1796700
54	गाजियाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 60000	10000 60000
55	जवाहरभवन, लखनऊ-2381-अपरसॉ0 अधिकारी , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	300000 66206000	300000 66206000
56	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 4583060	10000 4583060
57	सिद्धार्थनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 666760	25000 666760

58	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 666020	10000 666020
59	सोनभद्र-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 6243360	25000 6243360
60	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 1548310	25000 1548310
61	महोबा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 1091100	25000 1091100
62	संतरविदासनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 1091120	25000 1091120
63	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 11491370	25000 11491370
64	अम्बेदकरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 6903590	10000 6903590
65	गौतमबुद्धनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 178000	10000 178000
66	चन्दौली-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 2808860	25000 2808860
67	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 1092500	10000 1092500
68	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 1954880	10000 1954880
69	कौशाम्बी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 862120	25000 862120
70	श्रावस्ती-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 522770	25000 522770
71	अमरोहा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 1308600	10000 1308600
72	चित्रकूट-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 774130	10000 774130
	योग	वर्तमान प्रगामी	1875000 260983570	1875000 260983570

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया अठारहलाखपचहत्तरहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया छब्बीसकरोड़नौलाखतिरासीहजारपाँचसौसत्तर

(पूजारमन)

वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

वित्तीय वर्ष 2018–19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) में केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत (नीली क्रान्ति) के अन्तर्गत शासनादेश 34/2020/106/सत्रह–म–2019–6–9(2)/19 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रशासकीय व्यय मद में निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 27.197 लाख के सापेक्ष रू0 18.75 लाख का मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों को आवंटन

(इकाई रूपये में)

क्र0	जनपद/मण्डल	आवंटित धनराशि	क्र0	जनपद/मण्डल	आवंटित धनराशि
1	अलीगढ़	25,000	49	**देवीपाटन मण्डल**	0
2	हाथरस	10,000	50	अयोध्या	10,000
3	एटा	10,000	51	अम्बेडकरनगर	10,000
4	कासगंज	10,000	52	सुल्तानपुर	10,000
5	**अलीगढ़ मण्डल**	0	53	अमेठी	10,000
6	आगरा	10,000	54	बाराबंकी	25,000
7	फिरोजाबाद	10,000	55	**अयोध्या मण्डल**	30,000
8	मैनपुरी	10,000	56	बरेली	10,000
9	मथुरा	25,000	57	बदायूं	10,000
10	**आगरा मण्डल**	30,000	58	शाहजहांपुर	25,000
11	आजमगढ़	10,000	59	पीलीभीत	10,000
12	मऊ	10,000	60	**बरेली मण्डल**	30,000
13	बलिया	10,000	61	मिर्जापुर	10,000
14	**आजमगढ़ मण्डल**	30,000	62	सोनभद्र	25,000
15	प्रयागराज	10,000	63	भदोही	25,000
16	कौशाम्बी	25,000	64	**विन्ध्याचल मण्डल**	30,000
17	फतेहपुर	25,000	65	मुरादाबाद	10,000
18	प्रतापगढ़	10,000	66	सम्भल	10,000
19	**प्रयागराज मण्डल**	30,000	67	अमरोहा	10,000
20	कानपुर नगर	10,000	68	रामपुर	10,000
21	कानपुर देहात	10,000	69	बिजनौर	10,000
22	इटावा	25,000	70	**मुरादाबाद मण्डल**	30,000
23	औरैया	10,000	71	मेरठ	10,000
24	फर्रूखाबाद	25,000	72	बागपत	10,000
25	कन्नौज	10,000	73	गजियाबाद	10,000
26	**कानपुर मण्डल**	30,000	74	गौतमबुद्धनगर	10,000
27	गोरखपुर	10,000	75	हापुड़	10,000
28	महराजगंज	25,000	76	बुलन्दशहर	25,000
29	देवरिया	25,000	77	**मेरठ मण्डल**	30,000
30	कुशीनगर	25,000	78	लखनऊ	10,000
31	**गोरखपुर मण्डल**	30,000	79	उन्नाव	10,000
32	बस्ती	10,000	80	रायबरेली	25,000
33	संतकबीर नगर	10,000	81	सीतापुर	25,000
34	सिद्धार्थ नगर	25,000	82	हरदोई	25,000
35	**बस्ती मण्डल**	30,000	83	लखीमपुर खीरी	25,000
36	बांदा	10,000	84	**लखनऊ मण्डल**	30,000
37	चित्रकूट	10,000	85	वाराणसी	10,000
38	हमीरपुर	10,000	86	चन्दौली	25,000
39	महोबा	25,000	87	गाजीपुर	10,000
40	**चित्रकूट मण्डल**	0	88	जौनपुर	10,000
41	झांसी	10,000	89	**वाराणसी मंण्डल**	30,000
42	जालौन	10,000	90	सहारनपुर	10,000
43	ललितपुर	25,000	91	मुजफ्फरनगर	25,000
44	**झांसी मण्डल**	30,000	92	शामली	10,000
45	गोण्डा	10,000	93	**सहारनपुर मण्डल**	30,000
46	बलरामपुर	10,000	94	**मुख्यालय (निदेशालय)**	3,00,000
47	बहराइच	25,000		**महायोग**	**18,75,000**
48	श्रावस्ती	25,000			

5/11/2021

संख्या:34/2020/106/सत्रह-म-2019-6-9 (2)/19

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊ दिंनाक 08 अक्टूबर, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु कुल उपलब्ध केन्द्रांश 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए रू0 737.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-932 /नि0शा0/2020-21 दिनांक 07.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 36.423 लाख तथा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 399.238 लाख अर्थात कुल उपलब्ध केन्द्रांश 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख तथा प्राविधानित बजट धनराशि रू0 5000.00 लाख के अन्तर्गत मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 737.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 तथा संशोधित पत्रांक- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 31 जुलाई, 2019 द्वारा केन्द्रांश रू01608.86 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिसमें सामान्य मद,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए कुल रू0 रू0 1608.86 लाख के केन्द्रांश के अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा सामान्य मद हेतु 569.43 लाख तथा समसंख्यक सम दिनांकित पत्र द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु रू0 177.00 लाख व अनुसूचित जनजाति मद हेतु रू0 58.00 लाख अर्थात इस प्रकार कुल केन्द्रांश रू0 804.43 लाख अवमुक्त किया गया था।

3- उल्लेखनीय है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में पत्रांक संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के माध्यम से रू0 400.00 लाख का केन्द्रांश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रू0 650.00 लाख (केन्द्रांश रू0 400.00 लाख + राज्यांश रू0 250.00 लाख) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से धनराशि रू0 50.327 लाख (केन्द्रांश रू0 36.423 लाख +राज्यांश रू0 13.904 लाख) व्यय नहीं हो सकी। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत ही वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में सामान्य मद में भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।।, दिनांक 15 जुलाई,2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 399.238 लाख अवमुक्त किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे/18001/1/2017-एफ0वाई0 दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत निर्गत केन्द्रांश को वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत केन्द्रांश में से अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 36.423 लाख तथा प्रश्नगत योजनन्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में तृतीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 399.238 लाख अर्थात इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश रू0 435.661 लाख में से केन्द्रांश रू0 413.3668 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 324.1132 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 737.48 लाख (रू0 सात करोड सैतीस लाख अडतालीस हजार मात्र) को निम्न तालिकानुसार 11 परियोजनाओं / मदों में श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम / श्रेणी/ फण्डिंग पैटर्न (के0+रा0+ला0)	भौतिक ईकाई (सं0/ हे0)	इकाई लागत	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य मद में (अवमुक्त केन्द्रांश रू0 399.238 लाख +पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 36.423 लाख) के सापेक्ष निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाखमें)			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	मत्स्य पालन हेतु निवेश (नये तालाबों हेतु) **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	140	1.50	210.00	84.00	50.4000	33.6000	**84.0000**	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या- 932 / नि0 शा0/ 2020-21 दिनांक 07.09.20 20 द्वारा
2	नये तालाबों का निर्माण **(महिला)** (36%+24% +40%)	64.8	7.00	453.60	272.16	4.3824	2.9216	**7.3040**	
3	मत्स्य पालन हेतु निवेश (नये तालाबों हेतु) **(महिला)** (36%+24%+40%)	64.8	1.50	97.20	58.32	0.9396	0.6264	**1.5660**	
4	आई0एम0सी0 हैचरियों की स्थापना **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	1	25.00	25.00	10.00	6.0000	4.0000	**10.0000**	
5	मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स का क्रय **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	350	0.60	210.00	84.00	3.8304	2.5536	**6.3840**	

6	आटो रिक्शा विथ इन्सुलेटेड आइस बाक्स यू0पी0एम0जे0एस0एस0**(सामान्य)** (24%+16% +60%)	5	2.00	20.00	8.00	2.4000	1.6000	**4.000**	संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/ फांट के अनुसार ।
7	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मध्यम आकार **(सामान्य)** (24%+16% +60%)	1	50.00	50.00	20.00	12.0000	8.0000	**20.0000**	
8	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मध्यम आकार(यू0पी0एम0वी0एन0एल0 50:50:00)	8	50.00	400.00	400.00	200.0000	200.0000	**400.0000**	
9	मनरेगा तालाबों में निवेश (सामान्य) (24%+16%+60%)	350	1.50	525.00	210.00	105.5706	70.3804	**175.9510**	
10	मनरेगा तालाबों में निवेश **(महिला) (36%+24% +40%)**	58	1.50	87.00	52.20	0.6468	0.4312	**1.0780**	
	उपयोग					**386.1698**	**324.1132**	**710.2830**	
11	प्रशासकीय व्यय (केन्द्रांश का 3 प्रतिशत)					**27.1970**	**0.000**	**27.1970**	**मत्स्य निदेशालय स्तर से धनराशि के आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**
						413.3668	**324.1132**	**737.4800**	

(रू0 सात करोड सैतीस लाख अडतालीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- 2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का दायित्व होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ (यू0पी0एम0वी0एन0एल0) को प्रस्तर-4 की तालिका के क्रमांक-(8) पर अंकित परियोजनाओं हेतु तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0,लखनऊ (यू0पी0 एम0जे0 एस0एस0) को क्रमांक- (6) में अंकित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-793/ ई-1-दस-2020, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2020/106(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।